भारत सरकार द्वारा रोजगार वृद्धि के लिए चलाई जाने वाली योजनाएँ

Preeti W/o S.K.Chamar
Subject- Commerce
Village-Sirsa Kheri
Post office –Nandgarh
Teh. Julana (Jind).

प्रस्तावना-

भारतीय संविधान लागू होने के बाद से ही देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र व नगरीय मलिन बस्तियों में बसने वाले वंचितों, गरीबों, विकलांगों, महिलाओं, बच्चों और वृद्धों, जैसे कमजोर तबके के लिन नई–नई कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को संचालित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किए जाने हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। देशवासियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न रोजगारपरक, कल्याणकारी एवं मूलभूत सुविधाओं के जुटाने वाली योजनाओं को चालू किया गया है।

समय–समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है –

1. **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :**

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना गांवों में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार की एक अकेली योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारम्भ की गई। इस योजना में पूर्व से चली आ रही निम्नलिखित 6 योजनाओं[1] का विलय किया गया –

- समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम
- स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम
- ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम
- गंगा कल्याण योजना
- दस लाख कुँआ योजना[2]

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना है। इस योजना में सहायता प्राप्त व्यक्ति स्वरोजगारी कहे जाते हैं।[3]

2. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना :

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, पूर्व में चल रही जवाहर रोजगार योजना का पुर्नगठित सुव्यवहिस्थत और व्यापक स्वरूप है। 1 अप्रैल 1991 को प्रारम्भ की गई सितम्बर 2001 से इसे सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया है, इस योजना का मौलिक उद्देश्य गांवों में माँग आधारित सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है, जिसमें टिकाऊ सामुदायिक एवं सामाजिक परिसम्पत्तियों का सृजन सम्मिलित है, इस प्रकार जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प बेरोजगार व्यक्तियों के लिए लाभकारी रोजगार अवसरों का सृजन करना है।[4] इस योजना को दिल्ली और चण्डीगढ़ को छोड़ समग्र देश में सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है।

3. रोजगार आश्वासन योजना

रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर 1993 से ग्रामीण क्षेत्रों के 257 जिलों के 1778 विकास खण्डों में प्रारम्भ की गई थी। बाद में यह योजना चरणबद्ध रूप से देश के सभी 544 ग्रामीण पंचायत समितियों को इसमें शामिल किया गया। सभी विकास खण्डों में चलाई जा रही इस योजना का 1 अप्रैल 1999 को पुनर्गठन किया गया।[5] अब यह देशभर में जिला/विकास खण्ड स्तर पर चलाए जाने वाला मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जिसमें मजदूरों के पलायन से ग्रस्त इलाकों या विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं –

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे जरूरतमंद प्रत्येक परिवार से अधिकतम दो युवाओं को 100 दिन तक का लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना का दूसरा गौण उद्देश्य पर्याप्त रोजगार तथा विकास के लिए आर्थिक अधोसंरचना तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।
- इस योजना का व्यय 75:25 के अनुपात में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।
- योजना में मजदूरी सामग्री के 60:40 अनुपात को बनाए रखना है।
- चूंकि रोजगार आश्वासन योजना एक मांग चालित कार्यक्रम है अतः इसके अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।[6]

4. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

इस योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितम्बर 2001 को किया गया, जिसके लिए रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को एक में मिला

दिया गया था। रोजगार आश्वासन योजना के तहत जनवरी 2001 में प्रारम्भ किये गये काम के बदले अनाज कार्यक्रम को भी इस योजना में शामिल किया गया था।[7] 1 अप्रैल 2008 के सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में समन्वित कर दिया गया है।

शहरी बेरोजगारी निवारण कार्यक्रम

शहरी क्षेत्रों में विद्यमान बेरोजगारी को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है – 1 औद्योगिक श्रमिकों में बेरोजगारी तथा 2 शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी। शहरीकरण के विस्तार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरी क्षेत्रों में आते जा रहे हैं, जिस समय गांवों में कृषि कार्य नहीं होता उस समय के लिए भारी संख्या में कृषि श्रमिक काम की तलाश में नगरों में आ जाते हैं। मुख्य बात यह है कि जिस दर से औद्योगिक श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है उस अनुपात में औद्योगिक इकाइयों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। शहरी बेरोजगारी का दूसरा रूप शिक्षित वर्ग में देखने को मिलता है। शिक्षा के प्रसार के साथ ही शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।[8]

कुछ महत्वपूर्ण शहरी रोजगार एवं विकास कार्यक्रम का वर्णन अग्रलिखित प्रकार से किया जा सकता है –

1. **लघु एवं मध्यम कस्बों के समन्वित विकास का कार्यक्रम :**

ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का पलायन रोकने, लघु एवं मध्यम कस्बों में रोजगार सुविधाओं का सृजन करने तथा इन कस्बों में अवस्थापना सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में यह कार्यक्रम वर्ष 1978–80 में देश के समस्त राज्यों में प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन, बाजार एवं मण्डियों के विकास, पर्यटन सुविधाओं, पार्क तथा खेल के मैदान, पानी की निकासी हेतु नालियों का निर्माण आदि से सम्बन्धित कार्यों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।[9]

2. **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना :**

स्वतन्त्रता के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में केन्द्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में निर्धनता निवारण की एक नई योजना प्रारम्भ की है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना नाम से प्रारम्भ की गई यह योजना 1 दिसम्बर 1997 से लागू की गई है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में पहले से कार्यान्वित की जा रही तीन योजनाओं – नेहरू रोजगार योजना, निर्धनों के लिए शहरी बुनिवादी सेवाएं तथा प्रधानमंत्री की समन्वित शहरी

गरीबी उन्मूलन योजना को इसी नई योजना में शामिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत चल रहे कार्यों को 30 नवम्बर 1997 तक पूरा कर लेने का निर्देश सभी राज्यों को दिया गया था।[10]

नई प्रारम्भ की गई स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य शहरी निर्धनों को स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा रोजगार सृजन हेतु उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है।

3. प्रधानमंत्री की रोजगार योजना :

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 2 अक्टूबर 1993 से प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत आठवीं योजना के दौरान उद्योगों, सेवा तथा कारोबार में सात लख लघुत्तर इकाइयाँ स्थापित करके लगभग 10 लाख से भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना में कतिपय संशोधनों के साथ इस स्कीम को जारी रखा गया। इसके लिए चुने हुए आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शिक्षित बेरोजगारों, जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है, तथा जिनकी पारिवारिक आय 4000 वार्षिक से कम है एवं जो उस क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों से निवास कर रहा है, को व्यापारिक कारोबार के लिए 1 लाख तथा दो या दो से अधिक लोगों की भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए 10 लाख तक ऋण दिया जाता है। यह व्यवस्था भी की गई कि मार्जिन मनी और सब्सिडी की राशि परियोजना लागत का 20 प्रतिशत को गई।[11]

इस योजना का कार्यान्वयन उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब तक इस योजना का कार्यान्वयन उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब तक इस योजना के अन्तर्गत लगभग 20 लाख युनिट स्थापित की जा चुकि हैं। जिनसे 30.4 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजन हुए हैं।[12]

4. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

स्वरोजगार के आधिकाधिक अवसर सृजित करने के लिए एक नया प्रधामंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केन्द्र सरकार ने 15 अगस्त 2008 से शुरू किया है।[13] पूर्व में संचालित दो रोजगार कार्यक्रम – प्रधामंत्री की रोजगार योजना व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का विलय इस नए कार्यक्रम में कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए 1276 करोड़ रूपए इस कार्यक्रम के तहत आवंटित किए गए हैं।

इस योजना का कार्यान्वयन केवीआईसी एक्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज सेंटर द्वारा किया

जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन वैधानिक निकाय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एकमात्र नोडल एजेंसी निर्धारित की गई है।

5. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना :

21 मार्च 2015 को संघर्ष मंत्रिमण्डल ने 1120 करोड़ के कुल परिव्यय वाली प्रधामंत्री कोशल विकास योजना को स्वीकृती प्रदान की। इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

- 1.4 मिलियन युवाओं को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।
- योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से नवसृजित कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
- यह योजना श्रम बल में शामिल होने वाले नए युवाओं विशेष रूप से कक्षा 10 उत्तीर्ण तथा बारहवीं की पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाने वाले युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण को प्राथमिकता प्रदान करेगी।
- मेक इन इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन तथा स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रम में श्रम बल की मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करना कार्यक्रम का मुख्य है।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए चयनित क्षेत्र है – साफ्ट कौशल प्रशिक्षण, वैयक्ति अलंकरण, स्वच्छता हेतु व्यवहार में परिवर्तन, अच्छी कार्य नैतिकता आदि।
- क्षेत्रक कौशल परिषदें तथा राज्य सरकारें इस योजना के अन्तर्गत प्रदत्त कौशल प्रशिक्षण का अनुश्रवण करेंगी।
- तृतीय पक्ष के स्तर पर प्रदत्त–पत्र के आधार पर कौशल प्रशिक्षण पाने वाले प्रतिभागियों को 8000 का भुगतान भी मिलेगा।
- प्रशिक्षण मांग के आधार पर होगा।

6. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम :

ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना का शुभारम्भ डॉ. मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से किया। 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया।[14]

इस योजना के तहत चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसी वित्तीय वर्ष में गारन्टीशुदा रोजगार दिवसों को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। केन्द्र सरकार के महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम का नाम बदलकर अब औपचारिक रूप में वे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्ठी अधिनियम कर दिया गया है।[15]

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते हैं कि आजादी की बाद से ही देश से बेरोजगारी को दूर करने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा कुछ योजनाएँ बनाई गई तो कुछ योजनाओं को एक दूसरे में समन्वित करके उनका नाम बदल दिया गया। धरातल पर इनका क्या असर रहा वह दिखाई नहीं दिया लेकिन सरकारी कार्यालयों की फाइलों में सभी योजनाएं फलती–फूलती रही हैं। जितनी भी योजनाएँ बनाई गयी सभी जनसंख्या के विस्फोट की भेंट चढती चली गयी। कहने का अर्थ है जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ उस तेजी केन्द्र सरकारें रोजगार नहीं बढ सके।

पाद टिप्पणी

1. www.indiafilings.com
2. वही
3. हरीदाई राम यादव, वीलेज डेवलपमेंट प्लानिंग, पृ. 125
4. डॉ. दीपाश्री, इण्डियन इक्नॉमिक डेवलपमेन्ट, पृ. 49
5. समसादीया पत्रिका, पृ. 21, 1999
6. आलविन, इ इण्डियन इक्नोमि सींस 1991, इक्नोमिक रिर्फोम एण्ड परफोरमेंस, पृ. 567–68, 2009
7. प्रसन्ना के. मोहित, नगर और लोकनीति, भारत के लिए शहरी ऐजेंडा, पृ. 74, 2018
8. वही
9. इण्डिया मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट रिपोर्ट, 1999, पृ. 113
10. www.demsme.gov.in
11. बसंत मेहता एण्ड नवीनत कुमार जैन, सर्विस ऐरिया अपरोज : ए न्यू होरिजन फोर रूरल डवलपमेंट, पृ. 287, 2001
12. इण्डिया मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट रिर्पोट 2009, पृ. 67
13. वही, 2014, पृ. 64
14. शारदा गंगवार, इन्टरपरेन्शीप डेवलपमेंट, इक्नॉमिक एण्ड सोशल इश्यू, पृ. 12
15. प्रमोद कुमार, दिमानपतिया चक्रवर्ती, मनरेगा इमलोपमेन्ट वेजज एण्ड माइग्रेशन इण्डिया, पृ. 5
16. वही